बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञाप संख्या-सी0/ई0एच0-2-2/2008/...../जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः- श्री रमित सत्येन्द्र, कनीय अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची का एक शुल्क विपत्र भुगतान हेतु 78,000/-(अठत्तर हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

आदेशः- स्वीकृत।

2. यह व्यय बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कॉउन्सिल)-उपशीर्ष-0003-सरकारी मुकदमों के अन्तर्गत-2801-व्यावसायिक और विशेष सेवायें में **वित्तीय वर्ष 2013-2014** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,** विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

5. इस शीर्ष की **मांग संख्या-27** एवं विपत्र कोड-**एन-2014001140003** है।

6. यह शुल्क विपत्र **अक्टूबर,2013** तक का है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः-**अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,** विधि विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय लेखा शाखा को (विपत्र की दो अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 134 **/जे0, पटना, दिनांक.** 20/02/14

प्रतिलिपिः-विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.14
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव, बिहार।
19/2/14

E:\Sanjeet Kumar\Amar jee\Mahal 2014 (New) Sanjay Kr.doc